# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 13 / डी– 753 दिनांकः– 25-4-13

## कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **93वीं बैठक दिनांकः 22.03.13 को अपरान्ह 3.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

| क्र. सं. | जोन नं. | प्रस्ताव संख्या | विषय | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | 93:1 | प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 92वीं बैठक दिनांक 11.01.13 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन व 64वीं से 92वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा। | **92वीं बैठक दिनांक 11.01.13 :–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 92वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। पालना रिपोर्ट की समीक्षा करने पर प्रस्ताव सं. 86:2, 87:3, 87:10(4), 87:10(5), 90:2, 90:4, 90:5 90:12, 90:22, 90:24, 91:2, 91:6, 91:7, 91:7(4), 91:7(6), 92:8(1) से 92:8(9) में पालना हो जाने के कारण ड्रोप करने का निर्णय लिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष निर्णयों की अनुपालना संबंधित उपायुक्त से शीघ्र कराई जावे। |
| 2. | 9 | 93:2 | भूखण्ड सं. 86 योजना निलय कुंज पर काश्तकार द्वारा विरोध उत्पन्न करने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में आवंटन किये जाने बाबत। | श्री शिव सुन्दर शुक्ला को जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुन्ज में भूखण्ड सं. 86 क्षेत्रफल 225 वर्गमीटर का 9 मीटर चौडाई की रोड पर आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड खसरा नं. 1107 में स्थित है जिसका वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आवंटी को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका। 9 मीटर रोड की चौडाई पर योजना में कोई भूखण्ड रिक्त न होने से उपायुक्त द्वारा 12 मीटर चौडी रोड पर भूखण्ड सं. 115 क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर विनिमय में दिया जाना प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निर्णय लिया गया कि निलय कुंज योजना में ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें जविप्रा द्वारा आवंटी को भूखण्ड का कब्जा विभिन्न करणों से नहीं दिया गया, का एक माह की अवधि में परीक्षण कर उपायुक्त अधिशाषी अभियन्ता व सहायक नगर नियोजक योजना की री–प्लानिंग कर सभी प्रकरणों में विनिमय के प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत करें। |
| 3. | 4 | 93:3 | श्री राधागोविन्द एस्टेट प्रा0 लि0 ग्राम सूरजपुराघाटी तह. सांगानेर के ख.नं. 185 व 187 में से 200 व.मी. गै0मु0 रास्ते की भूमि आवंटन बाबत। | श्री राधागोविन्द एस्टेट प्रा0 लि0 जरिये निदेशक राजेन्द्र कुमार बरडिया ने ग्राम सूरजपुरा घाटी तहसील सांगानेर के खसरा नं. 186/1 रकबा 0.15 हेक्टे. में से 200 वर्गमीटर भूमि जविप्रा के पक्ष में समर्पित कर इसके बदले जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 185 व 187 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 200 वर्गमीटर भूमि आवंटन चाहा है। खसरा नं. 185 व 187 किस्म गै0मु0 रास्ता राजकीय भूमि आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नं. 186/1 को दो भागो में विभक्त करती है। अतः संस्था के आवेदन पर प्रस्तावानुसार खसरा नं. 185 व 187 गै0मु0 रास्ता की भूमि में से 200 वर्गमीटर भूमि आवेदक द्वारा खसरा नं. 186/1 में से समर्पित भूमि के बदले विनिमय में दिये जाने का निर्णय लिया गया। |

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 93:4 | ग्राम मूण्डियारामसर तहसील जयपुर के खसरा नं. 159/1 में से 1 बीघा भूमि चारण समाज को शमशान हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत। (रोट अपार्ट) | चारण समाज द्वारा ग्राम मूण्डियारामसर तहसील जयपुर के खसरा नं. 159/1 में से 1 बीघा भूमि चारण समाज को शमशान हेतु भूमि आरक्षित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि जविप्रा के स्वामित्व की होकर शमशान के उपयोग में आ रही है। अतः प्रस्तावानुसार 1 बीघा भूमि चारण समाज के शमशान के उपयोग हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। |
| 5 | 13 | 93:5 | राजस्व ग्राम चौंप में राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लि. को आवंटित की गई भूमि को कम्पनी के नाम परिवर्तन बाबत। | भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 91वीं बैठक दिनांक 12.11.12 में राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लि0 की सहायक कम्पनी पिंकसिटी ट्रांसमिशन सर्विसेज प्रा0 लि0 को चौंप की 22 हेक्टे. भूमि स्कीम की निर्धारित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन द्वारा यह प्रस्ताव प्ररतुत किया है कि आवंटित की गई भूमि जविप्रा की चौंप स्कीम में स्थित न होकर राजस्व ग्राम चौंप में स्थित है। राजस्व ग्राम चौंप की आवासीय आरक्षित दर 1400/-रू. प्रति वर्गमीटर पर आवंटन चाहा है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उपायुक्त प्रकरण का आवंटन दर के संबंध में पुनः परीक्षण कर औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करे। |
| 6 | 13 | 93:6 | अपेक्स विश्वविद्यालय हेतु संजय शिक्षा समिति, जयपुर को साईस टेक कसटी अचरोल में 30 एकड़ भूमि आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु। | संजय शिक्षा समिति जयपुर को अपेक्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प-3(64)नविवि/3/2009 पार्ट जयपुर दिनांक 26.11.12 के द्वारा ग्राम अचरोल तहसील आमेर की सांईस टेक सिटी योजना में 30 एकड़ भूमि कृषि भूमि की डीएलसी दर+20 प्रतिशत पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जोन द्वारा सांईस टेक सिटी योजना के भूखण्ड सं. यू-1 क्षेत्रफल 123254.77 वर्गमीटर भूमि का आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। |
| 7 | 11 | 93:7 | श्रीमती गीता, मंजू, ममता व रमेश कुमार खण्डेलवाल इत्यादि को जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 1564, 1565 व 1528/2733 कुल रकबा 0.10 हेक्ट. की भूमि का भूखण्ड भूमि के बदले भूमि के रूप में लिये जाने बाबत। | श्रीमती गीता, मंजू, ममता व रमेश कुमार खण्डेलवाल पिता/पति श्री लक्ष्मण, रमेश, दिनेश खण्डेलवाल सीताराम की खातेदारी भूमि ग्राम भांकरोटा कंला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1746 रकबा 0.22 हेक्टे., 1749 रकबा 0.58 हेक्टे., 1557 रकबा 0.26 हेक्टे. व 1558 रकबा 0.25 हेक्टे. कुल 1.31 हेक्टे. के बीच में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 1564, 1565 व 1528/2733 कुल रकबा 0.10 हेक्ट. भूमि आती है जिसको पहुंच सड़क उपलब्ध नहीं होती है। खातेदार द्वारा 60 मीटर सड़क पर 18 मीटर चौडाई एव गहराई में 57.44 व 57.39 मीटर कुल 1000 वर्गमीटर का भूखण्ड सृजन कर जविप्रा को समर्पित की है। अतः प्रस्तावानुसार समर्पित भूमि के बदले जविप्रा के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 1564, 1565 व 1528/2733 कुल रकबा 0.10 हेक्ट. भूमि विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। |

**आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :-**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | 1 | 93:7(1) | शिवाजी नगर योजना में निर्मित सामुदायिक केन्द्र को शिवाजी नगर विकास समिति को गोद देने, रख-रखाव एवं प्रबन्ध व्यवस्था बाबत। | प्रकरण पर एलपीसी बैठक में विचार किया गया। शिवाजी नगर योजना में निर्मित सामुदायिक केन्द्र को शिवाजी नगर विकास समिति को गोद देने, रख-रखाव एवं प्रबन्ध व्यवस्था हेतु सामुदायिक केन्द्र को जिन शर्तों |

तिo आयुक्त (एल.पी.सी.)
पुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | पर सामान्यतः विकास समितियों को दिया जाता है, उन्ही शर्तों पर शिवाजी नगर विकास समिति को रख रखाव हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया। |
| 9. | 11 | 93:7(2) | श्रीमती हेमा रावत को अनुपम विहार योजना के भूखण्ड सं. बी–209 के विनिमय में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत। | जविप्रा की अनुपम विहार योजना में श्रीमती हेमा रावत को भूखण्ड सं. बी–209 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का 12 मीटर चौडी रोड पर आवंटित किया गया था। मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर नक्शे में अनुमोदित है। आवंटी द्वारा 252 वर्गमीटर की राशि जमा करवा दी गई है। अतः बी ब्लॉक में समान माप व समान चौडाई की सड़क पर स्थित भूखण्ड सं. बी–30 विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। |
| 10. | 11 | 93:7(3) | श्री सुनीर अग्रवाल को अनुपम विहार योजना में भूखण्ड सं. बी–43 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत। | जविप्रा की अनुपम विहार योजना में श्री सुनीर अग्रवाल को भूखण्ड सं. बी–43 क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर का 12 मीटर चौडी रोड पर आवंटित किया गया था। मौके पर उक्त भूखण्ड खातेदार के पक्ष में आरक्षित होने के कारण कब्जा पत्र जारी नहीं किया जा सका। अतः समान माप व समान चौडाई की सड़क पर स्थित भूखण्ड सं. बी–398 क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर नॉनकॉर्नर विनिमय किया जाने का निर्णय लिया गया। |
| 11. | 11 | 93:7(4) | सीमा अग्रवाल को अनुपम विहार योजना के भूखण्ड सं. बी–482 के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत। | जविप्रा की अनुपम विहार योजना में सीमा अग्रवाल को भूखण्ड सं. बी–482 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का 12 मीटर चौडी रोड पर आवंटित किया गया था। मौके पर उक्त भूखण्ड खातेदार के पक्ष मे होने से कब्जा पत्र जारी नहीं किया जा सका। अतः बी ब्लॉक में समान माप व समान चौडाई की सड़क पर स्थित भूखण्ड सं. बी–266 विनिमय करने का निर्णय लिया गया। |
| 12. | 9 | 93:7(5) | श्री मनीष कुमार शर्मा को रामनगरिया विस्तार योजना का भूखण्ड सं. बी–336 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत। | जविप्रा की रामनगरिया विस्तार योजना में श्री मनीष कुमार शर्मा को भूखण्ड सं. बी–336 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का 9 मीटर चौडी रोड पर आवंटित किया गया था। मौके पर उक्त भूखण्ड पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होने के कारण कब्जा पत्र जारी नहीं किया जा सका। अतः इसी ब्लॉक में समान माप व समान चौडाई की सड़क पर स्थित भूखण्ड सं. बी–497–बी–501 व बी–535–बी–542 में से कोई एक भूखण्ड उपायुक्त स्तर पर लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। |
| 13. | | 93:7(6) | अनुसूचित जाति बालक छात्रावास ग्राम गोनेर हेतु ग्राम सिरोली के खसरा नं. 965 में से व ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर की अनुमोदित निजी खातेदारी योजना ओम सांई सिरडी पुरम के खसरा नं. 478 रकबा 2798.61 वर्गगज भूमि आवंटन बाबत। | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर ने अनुसूचित जाति बालक छात्रावास हेतु ग्राम जगतपुरा व गोनेर मे भूमि आवंटन चाहा है। ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर की अनुमोदित निजी खातेदारी योजना ओम सांई सिरडीपुरम में स्वतन्त्र रूप से स्थित जविप्रा की राजकीय भूमि खसरा नं. 478 में से 2798.61 वर्गगज भूमि अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जगतपुरा को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।<br>उपायुक्त जोन–9 द्वारा ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 965 में से अनुसूचित जाति बालक छात्रावास गोनेर हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस भूमि का मास्टर प्लान 2025 में लेण्डयूज छात्रावास हेतु अनुज्ञेय नहीं है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अनुसूचित जाति बालक छात्रावास गोनेर हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि अन्यत्र चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। |

आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14. | 7 | 93:7(7) | इन्द्रप्रभा चेरिटेबल ट्रस्ट को स्वरूप कॉलोनी में भूमि आवंटन करने बाबत। | नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 12.02.13 में लिये गये निर्णयानुसार इन्द्रप्रभा चेरिटेबल ट्रस्ट को निजी खातेदारी की योजना स्वरूप कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र में स्थित रिक्त भूमि 1167.75 वर्गमीटर आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 25.02.13 को प्राप्त हो गई है। संस्था सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अधीन पंजीकृत होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 19.04.11 की नीति में राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत अपेक्षित पंजीयन की शर्त में शिथिलता भी प्रदान की गई है। अतः राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसरण में 1167.75 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 15. | 13 | 93:7(8) | तेरापंथ युवक परिषद् जयपुर को सामुदायिक भवन, जनसेवा की प्रवृतियां, प्रक्षा ध्यान, अहिंसा प्रशिक्षण, जीवन विज्ञान आदि के लिए भूमि आवंटन बाबत। | तेरापंथ युवक परिषद् जयपुर द्वारा सामुदायिक भवन, जनसेवा की प्रवृतियां, प्रक्षा ध्यान, अहिंसा प्रशिक्षण, जीवन विज्ञान आदि के लिए 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन चाहा गया है। उपायुक्त द्वारा ग्राम राजारामपुरा की आवासीय/ संस्थानिक योजना में 3353.36 वर्गमीटर भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक दर पर आवंटित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जोन के प्रस्तावानुसार संस्थानिक आरक्षित दर पर 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया। |
| 16. | 8 | 93:7(9) | राजस्थान भृगुवंशीय ब्राह्मण सामुहिक विवाह समिति को वृद्धाश्रम, छात्रावास एवं महिला शिखा प्रशिक्षण हेतु भूमि आवटन बाबत। | राजस्थान भृगुवंशीय ब्राह्मण सामुहिक विवाह समिति ने वृद्धाश्रम एवं छात्रावास, महिला शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन 8 द्वारा सायपुरा संस्थानिक क्षेत्र के भूखण्ड सं. 4 में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध बताई है। उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा में स्थित है। राज्य सरकार के आदेश प–3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 27.08.12 द्वारा नगर निगम क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमियों का निजी संस्थाओं को आवंटन प्राधिकरण स्तर पर पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। अतः समिति द्वारा प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। |
| 17. | 9 | 93:7(10) | ग्राम भटेसरी तहसील बस्सी के खसरा नं. 109 व 110 की भूमि 54.4629 हेक्टे. भूमि रेल्वे को आवंटित करने बाबत। | रेल्वे विभाग की पुरानी शिवदासपुरा–जगतपुरा रेल लाईन की 29.50 हेक्टे. भूमि जविप्रा द्वारा सड़क आदि बनाने के काम में ले लिये जाने के कारण रेल्वे द्वारा समान मूल्य की भूमि जविप्रा द्वारा आस–पास के क्षेत्र में दिये जाने का निर्णय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया जा चुका है। रेल्वे की भूमि के एवज् में ग्राम भटेसरी तहसील बस्सी के खसरा नं. 109 व 110 क्षेत्रफल 54.4629 हेक्टे. भूमि को रेल्वे द्वारा उपयुक्त बताया गया है। उक्त भूमि के आवंटन की स्वीकृति व भूमि के आदान–प्रदान हेतु राज्य सरकार को अनुशंषा पूर्व में प्रेषित की गई है, जिसका अनुमोदन बैठक में किया गया। |
| 18. | 13 | 93:7(11) | राजस्थान कौशल एवं आजिविका मिशन को राज्य स्तरीय निर्माण अकादमी की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की कार्योत्तर अनुशंषा बाबत। | राजस्थान कौशल एवं आजिविका मिशन को राज्य स्तरीय निर्माण अकादमी की स्थापना हेतु ग्राम अचरोल तहसील आमेर की सांईसटेक सिटी योजना के भूखण्ड सं. 4 क्षेत्रफल 23278 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण नगरीय विकास विभाग को प्रेषित किया गया है, जिसका अनुमोदन बैठक में किया गया। |

प्रति० (आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19. | 8 | 93:7(12) | मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार वेलफेयर सोसायटी को विद्यालय एवं छात्रावास हेतु भूमि आवंटन बाबत। | मैढ क्षत्रिय स्वर्णकार वेलफेयर सोसायटी में विद्यालय एवं छात्रावास हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन 8 द्वारा सायपुरा संस्थानिक क्षेत्र के भूखण्ड सं. 4 में से 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध बताई है। उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा में स्थित है। राज्य सरकार के आदेश प–3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 27.08.12 द्वारा नगर निगम क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमियों का निजी संस्थाओं को आवंटन प्राधिकरण स्तर पर पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। अतः समिति द्वारा प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लया गया। |

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमियों के प्रस्ताव दी ड्रीम वेलफेयर सोसायटी व राजस्थान ढोली महासभा के प्राप्त हुए है। अतः इन प्रकरणो में भी समिति द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक संधन्यवाद् समाप्त की गई।

**नोटः—माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा जयपुर द्वारा प्रस्ताव सं. 93:3 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन नहीं किया गया है। अतः 93:3 के अतिरिक्त अन्य निर्णयों की पालना की जावे।**

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–प्रथम/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 93वी बैठक दिनांक 22.03.13 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

| क्र.सं. | नाम अधिकारी मय पद | एल.पी.सी. में पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री कुलदीप रांका, आयुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव | सदस्य |
| 3. | श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| 4. | श्री जे0बी0 जाखड, निदेशक (आयोजना) | सदस्य |
| 5. | श्री ओ0पी0 गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) | सदस्य |
| 6. | श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) | सदस्य सचिव |
| 7. | श्री रामअवतार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति) | विशेष आमंत्रित |
| 8. | श्री दिनेश कुमार पंवार, उपायुक्त जोन–4 | विशेष आमंत्रित |
| 9. | श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त जोन–11 व 14 | विशेष आमंत्रित |
| 10. | श्री ओम प्रकाश शर्मा, तहसीलदार जोन–8 | विशेष आमंत्रित |
| 11. | श्रीमती रेणु मीणा, तहसीलदार जोन–12 | विशेष आमंत्रित |
| 12. | श्री लक्ष्मीकान्त कटारा, तहसीलदार जोन–13 | विशेष आमंत्रित |
| 13. | जूही भार्गव, तहसीलदार जोन–14 | विशेष आमंत्रित |
| 14. | श्रीमती उषा जैन, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी | विशेष आमंत्रित |